"राज्य निधि"

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 88 (1) एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली– 2017 की धारा 33(1) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिए "राज्य निधि" का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2017 की धारा 33(2) के अन्तर्गत राज्य निधि के संचालन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया गया है।

राज्य निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं:–

1– शासन के पत्र सं0 381/2021–65–3099/645/2019, दिनांक–14.09.2021 द्वारा दिव्यांगजन के लिये राज्य निधि मद की धनराशि को व्यय किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है जिसके अन्तर्गत निम्नवत् योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

(1) उ0प्र0 के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।

(2) उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(3) दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments) क्रय हेतु वित्तीय सहायता।

(4) उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा–कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।

2– शासनादेश संख्या–593/65–3–2023, दिनांक 12 जनवरी, 2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं कि दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सम्बद्ध हितधारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन–सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

3– शासनादेश संख्या–518/65–3099–645/2019, दिनांक 26 जून, 2024 के माध्यम से निम्न तीन नवीन योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं

(1) दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मनोवैज्ञानिक आदि प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।

(2) दिव्यांगजन हेतु संचालित विशेष विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास एवं उससे संबंधित खेल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता।

(3) दिव्यांगजनों के पुनर्वासन से सम्बन्धित सामाजिक, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं विधिक (Legal) आदि विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता से सम्बन्धित प्रस्ताव।